Q(1.) अधिगम असमर्थता से क्या अभिप्राय है ? वर्णन करो।

Ans:- कक्षा में कई बच्चे ऐसे देखने को मिलते है जो बताई गई बात को सीख नही पाता है। इसके अनेकों कारण हो सकते है। अधिगम असमर्थी बालक एक से अधिक मानसिक क्रियाओं के दोष को प्रदर्शित करते है इसलिए इसकी पहचान करना कठिन होता है अधिगम असमर्थता के कई कारण है जैसे किसी बच्चे को दिखाई न देना, सुनाई न देना, मानसिक रूप से कमजोर बालक, शारीरिक व संवेगात्मक रूप से मन्दिता या कमजोर बालक आदि कारण हो सकते है, जिनकी वजह से बच्चा धीमी गति से सीखता है या फिर उसे समझ में नहीं आता है। अधिगम असमर्थता को निम्न परिभाषाओं द्वारा समझा जा सकता है।

हैमिल तथा लेघ के अनुसार - " अधिगम अक्षमता या निःशक्तता एक ऐसा मूल शब्द है जो बालकों के ऐसे समूह की ओर संकेत करता है, जो कि सामान्य रूप से श्रवण, वाचन, अध्ययन, लेखन, तर्क एवं गणितीय आदि योग्यताओं में सार्थक रूप से कठिनाई का अनुभव करता है।

अतः यह स्पष्ट होता है कि अधिगम अक्षमता बालकों में अनेक आंतरिक एवं वाह्य कारणों के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव के कारण उत्पन्न होती है, जिसके परिणामस्वरूप बालक का अधिगम स्तर सामान्य बालकों की तुलना में भिन्न होता है।

अधिगम अक्षमता वाले बालकों की विशेषतायें - मन, डेविस एवं बोल्फ-फोर्ड आदि ने अधिगम अक्षमता की मूलतः तीन निम्नलिखित विशेषतायें बतायी है :-

(1) मानसिक योग्यता औसत होनी चाहिए तथा बुद्धि लब्धांक 100, जिसमें विचलन 1 होना चाहिये।
(2) मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं में स्पष्ट अंतर पाया जाना चाहिये।
(3) अन्य दशाओं के रूप में शारीरिक, पारिवारिक एवं वातावरणीय दशायें प्रतिकुल नहीं होनी चाहिए।

अधिगम असमर्थी बालकों की पहचान :- इन बच्चों की क्रियाओं व गतिविधियों के आधार पर इनकी पहचान की जा सकती है, इनकी पहचान के आधार इस प्रकार है:-

(1) इन बालकों को समझने में कठिनाई होती है, बालक एक या अधिक विषयों में कमजोर हो सकता है।
(2) बच्चे को महीने, दिन, सप्ताह आदि को क्रम से याद करने में कठिनाई आती है।

(3) कक्षा में कार्यों को धीमी गति से करता है।
(4) ऐसा बच्चा सुस्त दिखाई देता है।
(5) 'म' 'ब' 'घ' 'फ' आदि वर्णों को ठीक से पहचान नहीं कर पाता।
(6) ये शब्दों को दोहरा कर पढ़ते हैं जैसे ऊपर को ऊपर आदि।
(7) प्रायः शब्दों का गलत उच्चारण करता है।
(8) अधिगम बाधित बालक कक्षा में शांत नहीं बैठता है। उत्तेजित रहता है। अनावश्यक क्रोधित हो जाता है।
(9) पढ़ते समय पूरे वाक्य को ही दोहरा देता है या फिर एक वाक्य को दो बार पढ़ता है।
(10) अक्षरों को उलटा लिखते हैं जैसे b को d, w का m आदि।

अधिगम असमर्थी बालकों की समस्यायें :-

(1) ध्यान केन्द्रित करने की समस्या - इस तरह के बालक का ध्यान एक कार्य में नहीं रहता है, वह कक्षा में शांत नहीं बैठ पाता है उसका ध्यान भटकता रहता है जो कि अधिगम में समस्या पैदा करता है।
(2) क्रियात्मक स्तर - इस प्रकार के बालकों के शरीर का क्रियात्मक स्तर या तो बहुत कम होता है या बहुत अधिक।
(3) बौद्धिक योग्यता - यह स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है कि इनकी बुद्धि लब्धि निम्न होती है। इनकी बौद्धिक योग्यता बहुत अधिक या बहुत कम हो सकती है।
(4) दृष्टि प्रत्यक्षीकरण की समस्या - ये दो वस्तुओं के बीच की दूरी या अन्तर को स्पष्ट नहीं कर पाते हैं, इनकी आँख व हाथ के मध्य सामंजस्य नहीं हो पाता है यदि किसी आकृति को दिखाया जाए और बाद में उस आकृति का आधा भाग दिखाया जाए तो इन्हें समझ में नहीं आता है।
(5) श्रवण प्रत्यक्षीकरण की समस्या - ये ध्वनियों को स्पष्ट रूप से नहीं सुन पाते हैं और न समझ पाते हैं। किसी ध्वनी को सुनने के बाद वो उसे याद नहीं रख पाते हैं। इसी प्रकार कक्षा में बताये गए स्वर को समझ नहीं पाते हैं। (मिश्र करण समस्या होती है)
(6) भाषायी समस्या - इन बच्चों के बोलने का विकास मंद गति से होता है ये शब्द को स्पष्ट नहीं बोल पाते हैं।
(7) शैक्षिक असमर्थता - उपरोक्त समस्याओं के कारण बालक में शैक्षिक असमर्थता हो जाती है क्योंकि बच्चा समझ नहीं पा रहा है, ठीक से सुन नहीं पा रहा है, याद नहीं रख पाता है तो स्वाभाविक है कि बच्चे को अधिगम संबंधी या शैक्षिक समस्या होगी।

Q(2.) बहु बाधिता से आप क्या समझते हैं? इसका वर्णन करें।

Ans – बहु बाधिता का अर्थ जब व्यक्ति बालक में एक से अधिक असमर्थता हो, जिसमें सभी बाधायें सम्मिलित होते हैं। इन बालकों की व्यक्तिगत व शैक्षिक आवश्यकतायें अन्य सामान्य बालकों तथा दूसरे प्रकार के बाधित बालकों की आवश्यकताओं की अपेक्षा भिन्न होती हैं। एक अंग की बाधिता के कारण दूसरे अंगों की भी बाधिता हो जाती है। जैसे प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात के कारण वाणी, बाधिता, अस्थि बाधिता आदि हो जाती है जिसे बहु बाधिता कहते हैं। बहु बाधित बालकों को भी विशिष्ट बालकों की श्रेणी में रखा जाता है। उनकी विशिष्टता एक अधिक पक्षों में होती है। अस्थि बाधिता के कई बालक दृष्टि बाधित या श्रवण बाधित हो सकते हैं। बहु बाधित बालकों की शिक्षा के लिए सरकारी व गैर सरकारी प्रयास किये जा रहे हैं। ये प्रयास इस बात को स्पष्ट करते हैं कि सभी व्यक्तियों को अपनी शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक व सामाजिक विभिन्नताओं के बावजूद शिक्षा प्राप्त करने एवं विकास करने तथा सुखमय जीवन व्यतीत करने का अधिकार है।

बहु बाधिता को परिभाषित करने के लिए विद्वानों ने इस प्रकार अपने विचार दिये हैं।

सचवार्टज के अनुसार – " बहु बाधित बालक में दो या दो से अधिक असमर्थतायें होती हैं, जिन्हें उनकी देखभाल, शिक्षा और भावी जीवन की योजना के लिए ध्यान में रखना है।"

असमर्थ व्यक्तियों के लिए निर्मित अधिनियम 1995 की धारा (1) अनुभाग (2) के अनुसार :- " किसी व्यक्ति में दो अथवा अधिक अपंगता को बहु-बाधिता के रूप में परिभाषित किया जाता है। इन अपंगताओं में मुख्य रूप से दृष्टि हीनता, कम दृष्टि, बहरापन, उपचार पश्चात कोढ, अस्थि बाधिता, मानसिक विक्षिप्तायें तथा मानसिक मंदन आदि को रखा जाता है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों की देख-भाल, शिक्षा, उपचार तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इस परिभाषा को ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है।

बहु बाधित बालकों की विशेषतायें :-

1. इनके शरीर की बनावट, कार्य क्षमता, शक्ति सामान्य बालकों से भिन्न होती है।
2. बहु बाधित बालक शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आधार से भिन्न होती हैं।
3. इनका विकास सामान्य बालकों की अपेक्षा बहुत तीव्र या मंद होता है।
4. इनका व्यवहार सामान्य से अलग होता है।

(5) एक बहुबाधित बालक वह है जो सामान्य शिक्षा कक्ष तथा सामान्य शिक्षा कार्यक्रमों से पूर्णतया लाभान्वित नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी विकास की सामर्थ्य अधिक होती है।

बहु बाधिता के प्रकार :- इसे अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में बाँटा जा सकता है।

(I) दैहिक बाधिता के साथ बहु अपंगता - इसमें वे बच्चे सम्मिलित किये जाते हैं जो एक से अधिक शारीरिक अपंगता को लिये होते हैं, जैसे अस्थि बाधित बच्चे का कम सुनाई देना, कम दिखाई देना आदि।

(II) दूसरी बाधिता के साथ मानसिक रूप से असमर्थी बालक - इस श्रेणी में वे बच्चे सम्मिलित किये जाते हैं जो

(a) औसत से कम बुद्धि जिनकी बुद्धि लब्धि 80-89 तक होती है।

(b) धीमी गति से सीखने वाले जिनकी बुद्धि लब्धि 70-79 तक होती है।

(c) मानसिक दुर्बल बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है।

उपरोक्त के साथ कोई शारीरिक बाधिता जैसे कम सुनाई देना कम दिखाई देना, वाणी दोष, अस्थि बाधिता आदि संयुक्त रूप से होते हैं।

बहु बाधिता के कारण :- सामान्यतः बहु बाधिता के कारण भी वही होते हैं जो अन्य बाधिताओं के कारण होते हैं। जो इस प्रकार हैं-

(1) गर्भवती स्त्री द्वारा तीव्र औषधियों का सेवन।

(2) एक्स रेज व अन्य विकिरण उपकरणों का प्रयोग।

(3) गुणसूत्र व अन्य वंशानुगत कारक।

(4) जन्म के समय दुर्घटना, चोट आदि।

(5) गंभीर बीमारियाँ।

समस्यायें :- बहुबाधित बालकों की समस्यायें इस प्रकार हैं।

(1) इनका निम्न बौद्धिक स्तर होता है जिस कारण ये धीमी गति से सीखते हैं।

(2) इनकी दोषपूर्ण दैहिक क्रियायें होती हैं।

(3) शारीरिक कार्य में असंतुलन होता है।

(4) इनकी गंभीर शैक्षिक समस्यायें होती हैं।

(5) इनका व्यवहार असामान्य होता है।

(6) इनमें समायोजन की समस्या होती है।

(7) मानसिक व शारीरिक क्रियाकलाप धीमी गति से करते हैं।

(8) इनकी वाणी एवं भाषा से संबंधित समस्यायें होती हैं।

(9) इनका व्यक्तित्व विशिष्ट होता है।

Q(3.) समावेशी शिक्षा से आप क्या समझते हैं ? इसकी आवश्यकता एवं महत्व को समझायें ।

Ans:- समावेशी शिक्षा का आशय सामान्य रूप से उस शिक्षा व्यवस्था से संबंधित है, जिसमें सामान्य छात्र एवं असक्षम छात्र एक ही कक्षा-कक्ष में एक दूसरे को सम्मिलित करके अध्ययन करते हैं। इस व्यवस्था में सभी प्रकार के असक्षम छात्र एक साथ मिलकर सामान्य छात्रों के साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। इससे एक ओर असक्षम छात्रों को अपनी असक्षमता के प्रति हीन भावना का बोध नहीं होता क्योंकि वे सामान्य छात्रों के साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं वहीं दूसरी ओर सामान्य छात्रों को यह बोध होता है कि उनको असक्षम छात्रों की सहायता करनी चाहिए। इसके साथ-साथ इस शिक्षा व्यवस्था में अधिगमकर्ता, अभिभावक, समुदाय, शिक्षक एवं प्रशासकों को सम्मिलित किया जा सकता है। इस प्रकार समावेशित शिक्षा का स्वरूप समन्वयन एवं सर्वाधिक व्यावहारिक प्रयोग पर आधारित है। इसमें छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया जाता है।

प्रो० एस० के० दुबे के अनुसार - "समावेशी शिक्षा का आशय उस शिक्षा व्यवस्था है जिसमें सामान्य एवं असक्षम छात्रों को एक साथ शिक्षण प्रदान करने हेतु उच्च अधिगम स्तर से संबंधित क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है तथा समुदाय, अभिभावक, शिक्षक एवं प्रशासन का सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जाता है।"

उपरोक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि समावेशी शिक्षा का प्रमुख संबंध असक्षमता से युक्त छात्रों से है, जिनको विभिन्न प्रयासों के माध्यम से शिक्षा की मुख्य धारा में सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार समावेशित शिक्षा विभिन्न संसाधनों का समन्वित रूप में प्रस्तुतीकरण है जो कि असक्षमता से युक्त छात्रों में अधिगम स्तर पर सुधार करती है।

समावेशी शिक्षा की विशेषतायें :-

(1) समावेशी शिक्षा ऐसी शिक्षा है जिसमें सामान्य व अन्य विशेष बच्चे एक साथ शिक्षा प्राप्त करते हैं।
(2) यह विशेष शिक्षा का विकल्प नहीं है बल्कि पूरक है।
(3) इस शिक्षा में ऐसा प्रारूप है जिससे अपंग बालकों को समान शिक्षा के अवसर प्राप्त हों।
(4) यह शिक्षा पूर्णतः माता-पिता, अध्यापक, अभिभावक के सहयोग पर आधारित है।
(5) यह अपंग या असमर्थ बालकों को उनके व्यक्तिगत अधिकार के रूप में स्वीकार करती है।
(6) यह इनके जीवन स्तर को उच्च करने तथा आत्मनिर्भर बनाने में सहायक है।
(7) समावेशी शिक्षा बाधित तथा सामान्य बालकों के मध्य स्वस्थ सामाजिक वातावरण

तथा संबंध बनाने में सहायक है।

समावेशी शिक्षा की आवश्यकता तथा महत्व :- समावेशी शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व निम्नलिखित कारणों से है -

(a) जब असमर्थ बालक को सामान्य विद्यालय में भेजा जाता है तो वह शैक्षिक तौर पर अपने आपको विद्यालय में समायोजित कर लेता है, तथा उसके मन में यह विचार नहीं आता कि वह दूसरे बालकों की अपेक्षा किसी भी क्षेत्र में कम है।

(b) असमर्थ बालकों के लिए सभी प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रबंध करने के लिए अधिक पैसे की आवश्यकता होती है। विशिष्ट बालकों को सामान्य विद्यालयों में पढ़ाना कम खर्चीला होता है। इस दृष्टि से समावेशी शिक्षा अधिक सस्ती है।

(c) समावेशी शिक्षा में असमर्थ बालकों को सामान्य विद्यालय में सामान्य बालकों के साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। साधारण बालकों की तरह शिक्षा प्राप्त करने में उनमें हीन भावना का विकास नहीं होता बल्कि आत्म- सम्मान की भावना का विकास होता है।

(d) शिक्षा का उद्देश्य बालकों को केवल शिक्षित करना नहीं है, बल्कि उनका पूर्ण विकास करना है। सामान्य विद्यालयों में असमर्थ बालकों को शिक्षा देने से उनमें सामाजिक गुणों का भी विकास होता है। क्योंकि विद्यालय में समाज के सभी वर्गों के बालक पढ़ने के लिए आते हैं। उनके साथ मिलकर असमर्थ बालकों में समाजीकरण की भावना का विकास होता है। इस प्रकार से असमर्थ बालकों में समाजीकरण भी प्यार, दयालुता, समायोजन, सहायता, भाई-चारा आदि सामाजिक गुणों का विकास होता है।

(e) भारतीय संविधान में प्रत्येक बालक को बिना किसी भेदभाव के एक समान शिक्षा देने की बात की गई है। हम शिक्षा प्रदान करने के लिए किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए असमर्थ बालकों को समावेशी शिक्षा देना अति आवश्यक है।

(f) सामान्य विद्यालयों में असमर्थ बालकों को प्राकृतिक वातावरण प्राप्त होता है। जब असमर्थ बालक सामान्य बच्चों के साथ साधारण विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करते हैं तो उनमें इस भावना का विकास नहीं होता कि वे किसी भी प्रकार से सामान्य बालकों से कम हैं।

अतः हम कह सकते हैं कि विशिष्ट शिक्षा की अपेक्षा असमर्थ बालकों को सामान्य विद्यालय में ही शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। सामान्य शिक्षा के साथ-साथ उनकी आवश्यकतानुसार उनके लिए विशेष कक्षाओं का प्रबंध करना चाहिए।

Q(4.) समावेशी शिक्षा के विभिन्न सिद्धांतों एवं प्रतिमानों का वर्णन करें।

Ans:- समावेशी शिक्षा के निम्नलिखित सिद्धांत है, जो विशिष्ट बच्चों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सक्षम है:-

(1) व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत - व्यक्तिगत विभिन्नता दो तरह की होती है - (i) दो व्यक्तियों में आपसी भिन्नता, (ii) व्यक्ति की स्वयं भिन्नता। इसको इस तरह भी कहा जा सकता है कि कुछ बालक दूसरे बालकों से ज्यादातर गुणों में सर्वथा अलग होते है। जिनका शिक्षा के प्रति लगाव होता है। ऐसे बालकों की विशिष्ट शिक्षण संबंधी जरूरतों को विशिष्ट शिक्षा के द्वारा पूर्ण किया जाना आवश्यक होता है।

(2) भेद रहित शिक्षा का सिद्धांत - समावेशी शिक्षा समाज के किसी वर्ग विशेष या समूह विशेष के लिए नहीं है। इस शिक्षा का मुख्य उद्देश्य समाज के सभी वर्गों एवं सभी समूह को शिक्षा प्रदान करना है। इसकी नीतियों एवं कार्यक्रमों को इस प्रकार लचीला बनाया जाना चाहिए कि कोई भी बालक शिक्षा से वंचित न रहे।

(3) अस्वीकार न करने का सिद्धांत - समावेशी शिक्षा के तहत शारीरिक रूप से असमर्थ सभी बालकों को निःशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए। उन्हें यह शिक्षा सामान्य बालकों के साथ सामान्य शिक्षण संस्थाओं में प्रदान की जानी चाहिए। किसी भी शिक्षण संस्थानों को इन बालकों को स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का विकल्प नहीं दिया जाना चाहिए।

(4) व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम का सिद्धांत - जिन बालकों को विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है, उन बालकों के लिए व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम या तो विशिष्ट कक्षाओं के माध्यम से दिया जाये। इस तरह की शिक्षा इन अक्षमशक्त बालकों की वर्तमान कार्य प्रणाली एवं विशेष आवश्यकताओं के अनुकूल होना चाहिए।

(5) नियंत्रित परिवेश का सिद्धांत - जहाँ तक संभव हो सके शारीरिक रूप से अशक्त बच्चों एवं अन्य सामान्य बच्चों की शिक्षा एक ही कक्षा-कक्ष में एक साथ होनी चाहिए। ऐसी कक्षा सामान्य हो सकती है। सामान्य कक्ष अक्षमशक्त बच्चों की न्यूनतम बाधा उत्पन्न करने वाला परिवेश प्रदान करता है।

(6) विशिष्ट प्रक्रिया का सिद्धांत - विशेष प्रक्रिया का यह सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि शारीरिक रूप से अशक्त बच्चों के अभिभावक को स्कूल की व्यवस्था का निर्धारण एवं विश्लेषण करने का पूरा-पूरा अधिकार प्राप्त है। जहाँ पर बच्चो को उनकी जरूरत के अनुसार शिक्षा प्रदान की जा सके।

(7) अभिभावकों के सहयोग का सिद्धांत - क्योंकि समावेशी शिक्षा एक संयुक्त प्रयास है। यह क्रियात्मक आधारित एक सामुहिक परियोजना है जिसमें अभिभावकों, अध्यापकों एवं सामान्य समाज का समर्थन व योगदान एक आवश्यकता है। शारीरिक रूप से बाधित बच्चों के अभिभावक की शिक्षा कार्यक्रम में अधिक दिलचस्पी

विशेष आवश्यकता वाले बालकों के प्रति विश्व शिक्षा समुदाय का ध्यान बढ़ता जा रहा है। हमारे देश में भी इस वर्ग के लिए विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। अनेक राज्यों ने समावेशन को अपना लिया है। अब प्रश्न उठता है कि समावेशन के लिए कौन से प्रतिमान होने चाहिए, जिससे सफल समावेशन सुनिश्चित किया जा सके। कुछ विशेष प्रतिमानों का उल्लेख निम्नलिखित है।

(1) पूर्ण समावेशन प्रतिमान – यह प्रतिमान बालकों को कक्षा में अनुदेशन एवं सहयोग प्रदान करने से संबंधित है। इसके लिए एक विशिष्ट अध्यापक की व्यवस्था की जाती है। उक्त अध्यापक अपनी विधि एवं सहायक सामग्री से पढ़ाता है। वह बालक को विषयवार सीखने में सहायता करता है। वह न केवल बालकों का बल्कि समावेशन में शामिल सामान्य अध्यापकों का भी सहयोग करता है। इस प्रतिमान के अंतर्गत बालक को प्रत्यक्ष अनुदेशन के साथ-साथ स्वतंत्र रूप से पढ़ने का अवसर भी प्रदान करता है।

(2) टीम प्रशिक्षण प्रतिमान – इस प्रतिमान के अंतर्गत सामान्य विशिष्ट अध्यापक एक ही कक्षा में एक साथ पढ़ाते हैं। उन्हें एक साथ इसलिए बैठने दिया जाता है ताकि वे एक दूसरे को समझने लगे एवं उसके मन में एक दूसरे के प्रति स्थापित दूरी को खत्म किया जा सके। यह एक सुनिश्चित तरीके से किया जाने वाला प्रतिमान है। इस प्रतिमान के जरिये प्रभावशाली शिक्षा तभी संभव हो सकती है, जब सामान्य एवं विशिष्ट अध्यापक दोनों मिलकर कार्य करें। यह प्रतिमान सफल शिक्षण की ओर लेकर जाता है, जिससे दोनों अध्यापक एवं बालक को लाभ होता है।

(3) रणनीति व्यवधान विधान – यह एक प्रणाली है जो तीन चरणों में संपन्न होती है। सर्वप्रथम पाठ्यक्रम कक्षा में समावेशन में सहयोग करता है। यह तभी संभव है जब सामान्य एवं विशिष्ट अध्यापकों में अच्छा तालमेल हो, वे मिलकर सहयोग कर रणनीतियाँ बनायें। दूसरे चरण में सामान्य शिक्षण पर जोर दिया जाता है इसमें बालक को अनुदेशन से पहले पूर्व ज्ञान परीक्षण किया जाता है जो अध्यापक को आगे की रणनीति बनाने में सहायक होती है। तीसरे चरण के अंतर्गत बालकों को अभिप्रेरणा तकनीक एवं सामाजिक कौशलों को सीखने पर जोर दिया जाता है।

(4) समावेश चक्र प्रतिमान – यह एक अतिमहत्वपूर्ण प्रतिमान है जिसमें बालक के व्यक्तिपरक ज्ञान की ओर ध्यान दिया जाता है। यह प्रतिमान अत्यधिक व्यक्तिपरक होता है।

Q(5) अलगाव से समावेशन की ओर अवस्थान से आप क्या समझते हैं? समावेशी शिक्षा के आधार क्या है?

Ans:- अलगाव से समावेशन की ओर - समावेशन जो एक नवीन प्रत्यय है जोकि वर्तमान की माँग है सबसे पहले विशिष्ट विद्यालय उन बच्चों के लिए प्रारंभ किए गए जो बाधित व किसी प्रकार से असमर्थ है। उसके बाद एकीकरण का प्रत्यय आया तत्पश्चात समावेशन प्रत्यय आया। इनका विवरण इस प्रकार है:-

चरण (I) = विशिष्ट विद्यालय → स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1964-66 में कोठारी आयोग ने सुझाव दिया कि जो असमर्थी व किसी प्रकार के बाधित बच्चे है उनकी शिक्षा के लिए अलग विद्यालय खोले जायें। आयोग के सुझाव पर विभिन्न प्रकार के विशिष्ट विद्यालय खोले गये। इन विद्यालयों में असमर्थता के आधार पर उन्हें शिक्षण कराया जाता था तथा इसमें प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति की गई। इन विशिष्ट विद्यालयों के खुलने से कुछ बच्चे इस प्रकार की शिक्षा से लाभान्वित हुए, लेकिन अधिकांश निर्धन व ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे इससे लाभान्वित नहीं हुए क्योंकि इन विद्यालयों में प्रवेश संबंधी समस्यायें, विद्यालयों का दूर होना, अभिभावकों की लापरवाही, बच्चों के प्रति उदासीनता आदि कई कारण रहे जिसके वजह से अधिकांश बाधित बच्चे विशिष्ट शिक्षा का लाभ नहीं उठा पाये। दूसरी ओर जो बच्चे इन विशिष्ट विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, वे स्वयं को समाज से अलग महसूस करने लगे तथा सामाजिकता व दूसरे वातावरण में सामंजस्य करने में कठिनाई आने लगी। इसलिए यह महसूस किया जाने लगा कि इन बच्चों में शिक्षा के साथ-साथ सामाजिक गुणों का विकास करने के लिए इन्हें सामान्य विद्यालयों में ही शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। इस प्रकार दूसरा चरण प्रारंभ होता है।

चरण (II) एकीकरण (Integration) - विशिष्ट विद्यालयों के पश्चात इन बच्चों में सामाजिकता व सामंजस्य की समस्या को दूर करने के लिए एकीकरण का प्रत्यय आया। एकीकरण के अन्तर्गत सामान्य विद्यालयों में विशिष्ट व असमर्थी बालक को प्रवेश दिया गया। विद्यालयों में सामान्य कक्षा व प्रवेश में फीस कम कर दी गई लेकिन इन बच्चों की सुविधा व शिक्षण रणनीति में कोई परिवर्तन नहीं किया। अध्यापक उन बच्चों को वैसे ही पढ़ाते थे जैसा कि वे सामान्य बच्चों को पढ़ाते थे। इस चरण में केवल प्रवेश ही दिया गया उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। असमर्थता व शैक्षिक आवश्यकताओं के अभाव में ये बच्चे ठीक से शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाये, जिस कारण एकीकरण होने से ये बच्चे शिक्षा का उत्तम लाभ नहीं उठा पाये। इस प्रकार के वातावरण से भी बच्चों में समायोजन की समस्या आने लगी। ये बच्चे स्वयं को हीन समझने लगे, असमर्थता

व विशिष्टता के कारण अध्यापक, सहयोगी, साथी भी इनका सहयोग नहीं करते थे। एकीकरण से भी इन बच्चों की समस्या जस की तस बनी रही और अभी भी अधिकांश बच्चे शिक्षा से वंचित ही रहे।

चरण (III) समावेशन (Inclusion) :- शिक्षा का अधिकार व सर्वशिक्षा अभियान तथा संविधान की धारा 45 जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान है। इसीको आधार मानकर अब यह प्रत्यय आया कि शिक्षा प्राप्त करने बच्चे का अधिकार है। उसे उसकी किसी भी असमर्थता के कारण शिक्षा से वंचित नहीं किया जायेगा। सर्व शिक्षा अभियान में यह प्रावधान है कि असमर्थी व विकलांग बच्चों को भी समान शिक्षा के अवसर प्रदान किये जायेंगे तथा इन बच्चों को 1200 रु० प्रतिवर्ष अनुदान की राशी प्रदान की जायेगी तथा इन बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जायेगा। समावेशी शिक्षा के अन्तर्गत विशिष्ट एवं असमर्थी बच्चों को सामान्य विद्यालयों में ही प्रवेश दिया जायेगा व सामान्य कक्षा में सामान्य बच्चों के साथ शिक्षण किया जायेगा। इस शिक्षा योजना में व्यक्तिगत असमर्थता के अनुसार शिक्षण किया जायेगा तथा विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को उनके अनुसार सहायक सुविधायें प्रदान की जायेंगी व शिक्षण रणनीति में भी परिवर्तन किया जायेगा। ऐसे बच्चों के लिए सामान्य व विशिष्ट दोनों प्रकार के शिक्षकों की नियुक्ति की जायेगी तथा दोनों मिलकर सहयोग के साथ शिक्षण करेंगे। इस शिक्षा में प्रत्येक विशिष्ट व असमर्थी बालक की शैक्षिक आवश्यकता के अनुसार सहायक उपकरण व अन्य सामग्री की व्यवस्था की जायेगी। इसमें व्यक्तिपरक शैक्षिक योजना, टीम शिक्षण, सहयोगी शिक्षण आदि प्रकार की रणनीति तैयार की जायेगी। तथा इन बच्चों की शिक्षा तथा समस्याओं के समाधान के लिए चिकित्सक, अध्यापक, माता-पिता व परामर्शदाता तथा विशेष शिक्षकों की सहायता ली जायेगी।

समावेशी शिक्षा से उन बच्चों की सामाजिकता व विभिन्न परिस्थितियों व अलग वातावरण में समायोजन करने में सहायता मिलेगी।

इस प्रकार स्पष्ट है कि समावेशी शिक्षा का स्वरूप को लाने में तीन चरणों से होकर पहुँच पाये हैं। अब यह देखना है कि समावेशी शिक्षा लागू करने के बाद इस शिक्षा से क्या सभी बच्चे लाभान्वित हो पायेंगे? हलाँकि यह कार्य कठिन है लेकिन असंभव नहीं।

Q(6.) सालामान का विवरण एवं अभियान के लिए ढाँचा 1994 की व्याख्या कीजिए।

Ans:— समावेशी शिक्षा के प्रोत्साहन को ध्यान में रखते हुए 'सब के लिए शिक्षा के उद्देश्य' की मूलनीति में बदलाव के लिए 90 सरकारों के प्रतिनिधित्व के लिए 300 से अधिक प्रतिभागियों एवं 25 अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों ने 7-10 जून, 1994 में सालामानका, स्पेन में बैठक की। यह बैठक स्पेन की सरकार एवं UNESCO के द्वारा व्यवस्थित की गई। इस सम्मेलन में विशेष शिक्षा की आवश्यकता के लिए सिद्धांत, नीति, कार्य और इसके लिए ढाँचा तैयार करने के लिए सालामानका विवरण तैयार किया गया।

इस नये विवरण के अनुसार सभी 'विकलांगों के लिए शिक्षा' पर ये सभी प्रतिभागी सहमत हैं। इस सम्मेलन ने समावेशी शिक्षा के अभियान के लिए ढाँचा तैयार किया है, जो एक सामान्य विद्यालय को सभी बच्चों को शिक्षा देने के सिद्धांत का पालन करने के लिए अग्रसर करता है चाहे वे बच्चे शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, संवेगात्मक एवं भाषाई तौर पर अन्य बच्चों से भिन्न हैं। इस शैक्षिक नीति के अनुसार प्रत्येक बच्चा अपने आस-पास के किसी भी विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर सकता है चाहे वह किसी भी तरह से विकलांग हो।

यह विवरण सभी के लिए शिक्षा के लिए वचन देता है। चाहे वह छोटा बच्चा हो या एक वृद्ध व्यक्ति हो या फिर वह विकलांग हो या न हो। यह विवरण सभी के लिए शिक्षा की आवश्यकता स्वीकारता है। इस विवरण की मान्यता है कि प्रत्येक विशेष शिक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय जाना चाहिए।

नियमित समावेशी विद्यालय के द्वारा भेदभावात्मक मनोवृत्ति को समाप्त करके सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करके, एक अच्छे समुदाय एवं समावेशी समाज का निर्माण किया जा सकता है। इसके द्वारा अनुचित शैक्षणिक खर्चों को भी कम किया जा सकता है।

समावेशी विद्यालय :— इस विवरण द्वारा सभी अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को समावेशी विद्यालय के उपागम एवं विशेष आवश्यकता शिक्षा के विकास जो कि सभी शैक्षणिक कार्यक्रमों का भाग है, का समर्थन करने की अपील की गई है। विशेषत: ये अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय UNESCO, UNICEF, UNDP एवं विश्व बैंक है।

इसके द्वारा संयुक्त राष्ट्रों एवं इनके विशिष्ट अभिकरणों को संघटित विशिष्ट आवश्यकता वाले प्रावधानों के लिए तकनीकी सहयोग एवं आपसी सहयोग को बढ़ाने को कहा गया है। गैर सरकारी संस्थानों को भी औपचारिक राष्ट्रीय संस्थानों के साथ समावेशी शिक्षा में सहयोग देने पर जोर दिया गया है।

सालामानका विवरण के द्वारा शिक्षा के प्रावधान :—

(1) शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने के लिए "शून्य स्वीकृति नीति" का पालन किया जायेगा। इसका अर्थ यह है कि किसी भी बालक को शिक्षा से वंचित नहीं होना पड़ेगा।

(2) विशिष्ट बालकों की पहचान पर विशेष बल दिया गया है। प्रारंभिक रूप से इनकी पहचान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में की जायेगी तथा आँगनबाड़ी केन्द्रों से सहायता ली जायेगी।

(3) विशिष्ट बालकों की पहचान तथा उनकी आवश्यकताओं को समझने तथा उनका मूल्यांकन विशेष समीतियों द्वारा किया जायेगा।

(4) विशिष्ट बालकों का आमांकन सामान्य विद्यालयों में किया जायेगा।

(5) विशिष्ट बालकों को अधिगम सहायक उपकरण उपलब्ध कराये जायेंगे। इसके लिए अन्य सरकारी [redacted] गैर सरकारी संगठनों का सहयोग लिया जायेगा।

(6) विशिष्ट बालकों को सामान्य बालकों की भाँति ही सामान्य विद्यालयों में शिक्षा प्रदान की जायेगी वहाँ वे स्वतंत्र व समान रूप से सीख सकेंगे।

(7) शिक्षा गारंटी योजना के तहत 'घर में शिक्षा' Home Based Education चलाया जायेगा इसके बाद उन्हें विद्यालय में लाया जायेगा।

(8) विशिष्ट बालकों की शिक्षा का उत्तरदायित्व सम्भालने वाले शिक्षकों को आवश्यक सुविधायें प्रदान की जायेगी।

(9) विशिष्ट बालकों को शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जायेगा।

(10) माता-पिता व अभिभावकों से सहयोग लिया जायेगा तथा बच्चों की समस्याओं से अवगत कराया जायेगा ताकि वे उन पर ध्यान दे सकें।

(11) जिला तथा राज्य स्तर पर संसाधन समूहों की स्थापना की जायेगी, ताकि कार्यक्रम का नियोजन ठीक से हो सके इसमें गैर सरकारी संगठनों की मदद ली जायेगी।

(12) जहाँ कहीं विशिष्ट शिक्षा कार्यक्रमों की आवश्यकता होगी, चलाया जायेगा।

(13) विशिष्ट शिक्षा पर अनुसंधान व शोध को प्रोत्साहित किया जायेगा।

(14) विशिष्ट बालकों का मूल्यांकन सतत किया जाए तथा उसकी सूचना माता-पिता को दी जायेगी।

(15) सामान्य विद्यालयों में ही विशिष्ट बालकों को प्रवेश दिया जायेगा तथा इस प्रकार का वातावरण तैयार किया जायेगा, जिससे ये बालक भी एक साथ सीख सकें।

Q(7.) विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर सम्मेलन 2006 की चर्चा करें।

Ans → विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर सम्मेलन संयुक्त राष्ट्रों की एक अन्तर्राष्ट्रीय मानव अधिकारों की संधि है। जिसका उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों एवं गौरव की रक्षा करना है। इस सम्मेलन के अनुसार प्रत्येक प्रतिभागी का उद्देश्य मानव अधिकारों को प्रोत्साहन एवं इनकी रक्षा करना होना चाहिए। जिससे विकलांग व्यक्ति समानता का अधिकार कानूनी रूप से प्राप्त कर सकें। इस सम्मेलन ने विकलांगों को समाज के समान भागीदार बनाने के लिए दान, चिकित्सा एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में अहम भूमिका निभाई है।

इस सम्मेलन के प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्रों की सामान्य सभा द्वारा 13 दिसम्बर 2006 को स्वीकारा गया एवं 30 मार्च 2007 को हस्ताक्षर किया गया। यह 3 मई 2008 से लागू कर दिया गया।

इस सम्मेलन के शैक्षिक प्रावधान :-

(1) राज्य पक्ष विकलांग व्यक्तियों के शिक्षा के अधिकारों को बगैर भेद-भाव के पूर्ण समानता से स्वीकार करेगा। राज्य ये सुनिश्चित करेगा कि समावेशी शिक्षा प्रणाली प्रत्येक स्तर पर एवं निरंतर सीखने वाली होनी चाहिए -

(a) मानवीय शक्ति, गरिमा की भावना, आत्ममूल्य, मानवीय अधिकारों का आदर, मौलिक स्वतंत्रता का पूर्ण रूप से विकास के लिए निर्देशित कर रही है।

(b) विकलांग व्यक्तियों के व्यक्तित्व का विकास, प्रतिभा, सृजनात्मकता, मानसिक एवं शारीरिक योग्यताओं का पूर्ण रूप से विकास को शामिल करना।

(2) इन अधिकारों को साकार करने में राज्य पक्ष निश्चित करता है कि -

(a) विकलांग व्यक्ति सामान्य शिक्षा प्रणाली से विकलांगता के आधार पर अछूते नहीं रखे जा सकते हैं, न ही मुक्त एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा या माध्यमिक शिक्षा से विकलांगता के आधार पर वंचित रखे जा सकते हैं।

(b) विकलांग व्यक्ति समावेशी, उत्तम, मुक्त प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा एक समुदाय जिसमें अन्य व्यक्ति रह रहे हैं के साथ समानता से शिक्षा ग्रहण करेंगे।

(c) विकलांग व्यक्ति सामान्य शिक्षा प्रणाली में अपनी सुगम शिक्षा के लिए सहयोग प्राप्त कर सकता है।

(d) समावेशन के उद्देश्य के साथ शैक्षणिक एवं सामाजिक विकास करनेवाले वातावरण द्वारा उचित व्यक्तिगत समर्थन उपाय प्रदान किये जा रहे हैं।

(3) विकलांग व्यक्तियों की जिन्दगी को समझने व सामाजिक विकास कौशल का शिक्षा एवं समुदाय में पूर्ण व समान भाग लेने में राज्य पक्ष सहायता करेगा। इसके लिए राज्य निम्न उपाय करेगा -

(a) ब्रेल लिपि, वैकल्पिक लिपि सीखने, भाषा का विकासात्मक वैकल्पिक माध्यम एवं प्रारूप, सहकर्मी सहयोग में सहायता प्रदान करना।

(b) चिन्ह भाषा को सीखने में सहायता देना एवं बहरे समुदाय की भाषाई पहचान को बढ़ाना।

(c) बच्चे की शिक्षा, विशेषत: अन्धे, बहरे या अन्धे-बहरे सुनिश्चित करना। उन्हें व्यक्तिगत रूप से उचित भाषा एवं माध्यमों द्वारा उस वातावरण में सम्प्रेषण करना जिससे अधिक-से-अधिक शैक्षणिक एवं सामाजिक विकास किया जा सके।

(4.) इन अधिकारों को साकार करने के लिए राज्य पक्षों को शिक्षकों (सम्मिलित - विकलांग शिक्षक, जिन्होंने परीक्षा किसी विशेष चिन्ह भाषा एवं ब्रेल लिपि से की है,) पेशेवर एवं कर्मचारी वर्ग की भर्ती एवं प्रशिक्षण के लिए उचित विधियों का प्रयोग करना होगा जो शिक्षा के सभी स्तरों पर कार्य कर रहे हैं। यह प्रशिक्षण विकलांगता जागरूकता एवं सम्प्रेषण के उचित विकासात्मक व वैकल्पिक माध्यम, शैक्षणिक तकनीकी, विकलांग व्यक्तियों के सहयोगी सामग्री से जुड़ी हुई होगी।

(5) राज्य पक्ष यह निश्चित करेंगे कि विकलांग व्यक्ति शिक्षा तक पहुँच, व्यवसायिक प्रशिक्षण, प्रौढ़ शिक्षा एवं पूर्ण जीवन चलने वाले अधिगम में बिना किसी भेदभाव व दूसरों के साथ समानता के आधार पर बहुत योग्य बन पाये हैं। इस उद्देश्य के लिए, राज्य पक्ष इन विकलांग शिक्षार्थियों को सामान्य स्तर की सुविधायें भी प्रदान करानी होगी।

Q(8.) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 तथा 1992 में विशिष्ट बालकों के लिए क्या सुझाव प्रस्तुत किये हैं।

Ans:- राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने अपंग बालकों की शिक्षा पर जोर दिया है तथा यह भी स्पष्ट किया है कि इन बालकों की शिक्षा को प्रभावी बनाना चाहिए ताकि वे भी शिक्षित होकर हमारे देश की उन्नति में अपना योगदान कर सकें।

नीति का यह मानना है कि विकलांगों को शिक्षा प्रदान करने का यह उद्देश्य होता है कि वे समाज के साथ संकलित होकर रह सकें, उसकी उन्नति भी आम लोगों की तरह ही हो, वे पूरे विश्वास और हिम्मत से जीवन यापन करें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में निम्नलिखित उपाय करने का सुझाव दिया :-

(1) विकलांगता अगर चलने फिरने की या मामूली सी हो, तो ऐसे बच्चों की शिक्षा सामान्य बच्चों के साथ हो।

(2) गंभीर रूप से विकलांग बच्चों के लिए छात्रावास वाले स्कूलों की व्यवस्था हो, जहाँ तक संभव हो इस प्रकार के विद्यालय जिला मुख्यालयों में बनाये जाएं।

(3) अध्यापकों को प्रशिक्षण - प्रत्येक विद्यालय के लिए प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए 7-8 अध्यापकों की आवश्यकता होगी। इन अध्यापकों की संख्या उन अध्यापकों के अतिरिक्त है जो पहले से ही संस्थाओं में कार्यरत हैं।

(4) तकनीकी का प्रयोग - यह युग तकनीकी का युग है। सामान्य शिक्षा की भाँति विशिष्ट शिक्षा प्रदान करने में भी आधुनिक तकनीकी का प्रयोग करना चाहिए। इसका प्रयोग करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अपंग बालकों की आवश्यकता के अनुसार इनका प्रयोग हो। रेडियो, टी० वी०, वीडियो, कम्प्यूटर आदि का फायदा सामान्य बालकों के समान अपंग बालकों को भी मिलना चाहिए।

(5) व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र - प्रत्येक जिला स्तर पर जहाँ विशिष्ट विद्यालय स्थापित किए गए है, उसके साथ या उसी विद्यालय में व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए जायेंगे। इन विद्यालयों में विशिष्ट विद्यालयों में पढ़ रहे बालकों व दूसरे अपंग बालकों को जीविका कमाने के लिए प्रशिक्षण दिया जायेगा।

(6) पाठ्यक्रम में बदलाव - अपंग बालकों की आवश्यकताओं व उनके जीवन के दौरान आने वाली परेशानियों को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम बनाना अति आवश्यक है। उदाहरण के लिए एक अंधे बालक के लिए विज्ञान विषय के प्रैक्टिकल तथा एक बहरे बालक की एक से अधिक भाषा को सीखने की समस्या को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम में बदलाव आवश्यक है। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पाठ्यक्रम का कोई भाग छूट न जाये।

(7) अनुदेशन व्यवस्था को प्रभावी बनाना - प्रायः यह देखने में आया है कि इन विद्यालयों में अनुदेशन व्यवस्था बड़ी ढीली-ढाली होती है। अतः कार्यक्रम की सफलता के लिए अतिआवश्यक है कि अनुदेशन व्यवस्था को प्रभावी बनाया जाये ताकि बच्चों को इसका लाभ मिल सके।

(8) विद्यालयों का प्रभावी निरीक्षण — जो विद्यालय पहले से ही विशेष शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, उनका प्रभावी ढंग से निरीक्षण होना चाहिए तथा दूसरे सामान्य विद्यालयों की भाँति इनको भी सरकार द्वारा ग्रांट दी जानी चाहिए। चूंकि बालक की विभिन्नतायें तथा आवश्यकतायें अलग-अलग है अतः यह भी ध्यान रखना चाहिए कि पैसे की कमी न रहे। समाज कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन मंत्रालय को इस कार्य में सहयोग करना चाहिए। पुर्नवास केन्द्रों में कार्यरत लोगों को भी विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए सहयोग करना चाहिए।

(9) इन बालकों को शैक्षिक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए विकलांग कल्याण विभाग द्वारा संचालित कुछ योजनायें इस प्रकार है :-

(1) छात्रवृति योजना - जिन विकलांग अभिभावकों की मासिक आय 3000 रू० से कम है और वे अध्ययनरत है उन्हें कक्षा 1-5 तक 25 रू० प्रतिमाह कक्षा 6 से 8 तक 40 रू० प्रतिमाह, 9-12 तक 85 रू० प्रतिमाह व स्नातक कक्षाओं में 125 रू० प्रतिमाह व व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययन कर रहे छात्रों को 170 रू० प्रति माह की दर से छात्रवृति प्रदान करने की व्यवस्था है।

(2) पेंशन योजना - ऐसे निराश्रित विकलांग व्यक्ति जिसकी मासिक आय 225 से कम है, उन्हें 125 रू० प्रतिमाह की दर से भरण-पोषण अनुदान दिया जाता है।

(3) कृत्रिम अंग / सहायता उपकरण - विभिन्न श्रेणी के विकलांगों को उनकी आवश्यकतानुसार 1000 रू० की सीमा तक के कृत्रिम सहायता उपकरण प्रदान किये जा रहे है।

(4) विकलांग से विवाह करने का पुरस्कार - इस योजना के अन्तर्गत विवाहित जोड़े में यदि पति विकलांग है तो 11000 रू० एवं पति-पत्नी दोनों विकलांग हो तो 14000 रू० की धनराशी अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है।

(5) दुकान निर्माण योजना - इस योजना में उद्यमी विकलांग को प्रोत्साहित करने के लिए 20000 रू० की धनराशी प्रदान की जाती है व 15000 रू० तक का ऋण प्रदान किया जाता है।

Q(9.) भारतीय पुनर्वास परिषद कानून 1992 की विस्तार से चर्चा करें।

Ans:- भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना पंजीकृत समिति के रूप में 1986 में हुई थी। लेकिन यह पाया गया कि समिति द्वारा उचित मानकीकरण एवं निर्धारित मानकों को अन्य संस्थानों द्वारा पालन नहीं किया गया। अतः संसद में भारतीय पुनर्वास परिषद कानून 1992 पारित कर दिया। अब भारतीय पुनर्वास परिषद को 22 जून 1993 को संवैधानिक दर्जा मिला।

भारतीय पुनर्वास परिषद कानून में 2000 में संशोधन किया गया। कानून ने परिषद को बहुत महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व सौंप दिया। अब कोई भी संस्थान बगैर भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा निर्धारित योग्यताओं के विकलांग व्यक्तियों को सुविधायें प्रदान नहीं कर सकता है। यदि कोई संस्थान बगैर भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा निर्धारित योग्यता के विकलांग व्यक्तियों को सुविधायें प्रदान करता है तो उस पर मुकदमा चलाया जायेगा। अतः परिषद को पुनर्वास एवं विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तियों एवं पेशेवरों के प्रशिक्षण से संबंधित दोहरे उत्तरदायित्व सौंपे गये हैं एक तो मानकीकरण एवं दूसरा विनियमन।

भारतीय पुनर्वास परिषद के दायित्व :-

भारतीय पुनर्वास परिषद संसद के कानून के आधार पर एक संवैधानिक संस्था है एवं इसका पुनर्वास एवं विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षण के कार्यक्रम / कोर्सों का विभिन्न स्तरों पर विकास करना, मानकीकरण करना एवं विनियमन करना है। यह पुनर्वास व विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान को प्रोत्साहन करने के लिए योग्य व्यक्तियों / पेशेवरों के लिए केन्द्रीय पुनर्वास रजिस्टर तैयार करती है।

भारतीय पुनर्वास परिषद के कार्य :-

(1) विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के क्षेत्र से संबंधित प्रशिक्षण नीतियों एवं कार्यक्रमों का विनियम करना।
(2) विकलांग व्यक्तियों से संबंधित पेशेवरों के लिए प्रशिक्षण कोर्सों के लिए मानकीकरण करना।
(3) विकलांग व्यक्तियों से संबंधित पेशेवरों के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित करना।
(4) प्रशिक्षण में निर्धारित मानकों को सुनिश्चित करना।
(5) विभिन्न संस्थानों / संगठनों / विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करना।
(6) विभिन्न विदेशी विश्वविद्यालय / संस्थाओं के प्रमाणपत्र को मान्यता

प्रदान करना।
(7) विकलांग से संबंधित सभी पेशेवरों / व्यक्तियों का पंजीकृत करने के लिए केन्द्रीय पुनर्वास रजिस्टर रखना।
(8) पुनर्वास के क्षेत्र में भारत में स्थित सभी विकलांग व्यक्तियों से संबंधित संस्थानों से शिक्षा एवं प्रशिक्षण की निरंतर सूचना एकत्रित करते रहना।
(9) विकलांगता के क्षेत्र में कार्य कर रहे विभिन्न संस्थानों का सहयोग करके पुनर्वास एवं विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा का विस्तार करना।
(10) व्यवसायिक पुनर्वास केन्द्रों को मानव शक्ति विकास केन्द्र के रूप में मान्यता देना।
(11) व्यवसायिक पुनर्वास केन्द्रों में कार्य कर रहे विभिन्न विशेषज्ञों एवं अन्य व्यक्तियों का पंजीकरण करना।
(12) केन्द्रीय एवं उच्च संस्थानों को विकलांग व्यक्तियों के लिए मानव शक्ति विकास केन्द्रों के रूप में मान्यता देना।
(13) सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय की तरफ से केन्द्रीय संस्थानों एवं अन्य उच्च संस्थानों में कार्य कर रहे व्यक्तियों का पंजीकरण करना।
(14) पुनर्वास एवं विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधानों को प्रोत्साहन देना।

(9 (10.) राष्ट्रीय बहुविकलांग व्यक्ति अधिकारिता संस्थान (NIEPMD) पर टिप्पणी लिखें।

Ans:- राष्ट्रीय बहुविकलांग व्यक्ति अधिकारिता संस्थान (National Institute of Empowerment of Persons with Multiple Disabilities) को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बहुविकलांग व्यक्ति अधिकारिता के लिए राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र के रूप में चेन्नई (तमिलनाडु) में स्थापित किया गया है। ये व्यक्ति विभिन्न प्रकार के विकलांग हो सकते है जैसे - श्रवण बाधित, दृश्य बाधित, मानसिक असन्तुलन, मानसिक पक्षाघात एवं अन्य प्रकार से बाधित हो सकते है।

राष्ट्रीय बहुविकलांग व्यक्ति अधिकारिता संस्थान के उद्देश्य :—

(1) मानव संसाधनों का विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास प्रबंधन, प्रशिक्षण, शिक्षा, रोजगार एवं सामाजिक विकास के लिए विकास करना।
(2) बहुविकलांगता एवं बहुविकलांग व्यक्तियों से संबंधित अनुसंधान करना एवं इनका प्रोत्साहन करना।
(3) सामाजिक पुनर्वास के लिए बहुविषय प्रतिमान एवं नीतियों का विकास करना एवं समाज के विभिन्नबहुविकलांग व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना।
(4) बहुविकलांग व्यक्तियों के लिए सेवायें आरंभ करना एवं कार्यक्रमों का विकास करना है।

लक्ष्य :— बहुविकलांग व्यक्तियों को बेहतर जिंदगी देने के लिए, समाज में बराबर का अधिकार प्रदान करना। इसके लिए ये संस्थान विभिन्न प्रकार के पुनर्वास एवं अन्य सुविधायें प्रदान करेगी। बहुविकलांग व्यक्तियों की जिन्दगी को बेहतर करने के लिए ये संस्थान बाहरी पक्षकार, परिवार, पेशेवरों, समुदाय एवं समाज के बराबर की हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास करेगी।

राष्ट्रीय बहुविकलांग व्यक्ति अधिकारिता संस्थान के द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधायें :—

(1) पुनर्वास चिकित्सा प्रदान करना।
(2) भौतिक चिकित्सा प्रदान करना।
(3) व्यवसायिक चिकित्सा प्रदान करना।
(4) संवेदी एकीकरण करना।
(5) प्रारंभिक हस्तक्षेप सेवाओं को प्रदान करना।
(6) प्रोस्थेटिक और अर्थोटिक्स सुविधा प्रदान करना।
(7) विशेष शिक्षा प्रदान करना।
(8) मनोवैज्ञानिक, आंकलन और हस्तक्षेप करना।
(9) भाषण, श्रवण एवं संचार चिकित्सा प्रदान करना।
(10) व्यवसायिक प्रशिक्षण देना।
(11) व्यवसायिक मार्गदर्शन और परामर्श करना।
(12) श्रवण एवं दृष्टि बाधित बच्चों के लिए सुविधायें प्रदान करना।
(13) समुदाय आधारित पुनर्वास करना।
(14) विशेष क्लीनिक (मनोरोग, तंत्रिका विज्ञान और नेत्र विज्ञान)

Q(11.) विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को उनकी अधिगम शैली के अनुसार पढ़ाने के विभिन्न शैक्षणिक प्रावधान बताइये।

Ans :- सामान्य शिक्षा के समान ही विशिष्ट शिक्षा के आदर्श एवं उद्देश्य होते हैं। विशिष्ट एवं सामान्य शिक्षा में मात्र इनके स्वरूप एवं विधियों में भिन्नता है। विशिष्ट बालकों के अनुरूप ही विशिष्ट शिक्षा निर्मित होती है जो विशिष्ट बालकों की विशिष्ट योग्यताओं एवं क्षमताओं के अनुरूप होती है। विशिष्ट शिक्षा में विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है, जो निम्नलिखित है।

(1) मानसिक रूप से निम्नस्तरीय बालकों की शिक्षा के लिए विशेष शैक्षिक प्रावधान :- ऐसे बच्चों को दिये जाने वाले शैक्षिक कार्य छोटी-छोटी इकाइयों में बँटी होनी चाहिए। अध्यापक को सृजनात्मक कौशलों से पूर्ण होना चाहिए जिनका प्रयोग कर वह इन बच्चों को ठीक से समझ सके। अध्यापक इन बच्चों की आवश्यकताओं का पता करें तत्पश्चात उनके समाधान हेतु प्रयास करें। शिक्षण के दौरान अधिक से अधिक दृश्य-श्रव्य साधनों का प्रयोग किया जाए। इन बच्चों की रुचियों का पता लगाया जाए तथा उनकी रुचि के अनुसार विषय दिये जाए। ऐसे बच्चों के लिए अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था की जाए।

(2) मंद बुद्धि निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए विशेष शैक्षिक प्रावधान :- मंदबुद्धि बालक सामान्य बालकों की अपेक्षा धीरे सीखते है। इनके लिए आवश्यक है कि पाठ्यवस्तु को इनके अनुकूल बनाया जाए, जिससे वे आसानी से सीख सके। मानसिक रूप से मंदित बालक थकान का शीघ्र अनुभव करते हैं इन बच्चों को खंड में पढ़ाया जाए व छोटे-छोटे कार्य दिये जाए।

(3) श्रवण बाधित बालकों के लिए विशेष शैक्षिक प्रावधान :- श्रवण बाधित बालक वे बालक होते है जिन्हें सुनने में समस्यायें आती हैं। इन बच्चों के लिए विशेष तकनीक की आवश्यकता होती है। श्रवण बाधित बालकों के लिए निम्न तकनीक का प्रयोग किया जाता है :-

(a) सांकेतिक भाषा - सांकेतिक भाषा में अध्यापक द्वारा जो बोला जाता है, उसी के अनुसार संकेत किया जाता है इन संकेतों से श्रवण-बाधित बालक कही गई बात को समझ सकते हैं।

(b) शरीर गति कौशल - अध्यापक द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में गति करवाकर समझाया जा सकता है।

(c) ओष्ठ पठन विधि - ओष्ठ पठन विधि में बालकों को होंठों के

हिलने और गति के आधार पर वर्णों और शब्दों को पढ़ने की शिक्षा दी जाती है।
(3) ध्वनि प्रवर्धक यंत्र - सम्प्रेषण के लिए ध्वनि प्रवर्धक यंत्रों का प्रयोग किया जाता है यह केवल उन बच्चों के लिए प्रयोग किया जाता है जो ऊँचा सुनते हैं।
(4) दृष्टि बाधित बालकों के लिए विशेष शैक्षिक प्रावधान :- दृष्टि बाधित बालकों को शिक्षा प्रदान करने का अच्छा तरीका विशेष कक्षाओं की व्यवस्था करना है इन विशेष कक्षाओं में उनकी आवश्यकतानुसार शिक्षा प्रदान की जा सकती है। ऐसे बच्चों को श्यामपट्ट के नजदीक बिठाया जाय जिससे वे देख सकें व शब्दों को बड़ा लिख सकते हैं। ऐसे बच्चों के लिए इंद्रिय विकास पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अभिभावकों को इस बात की जानकारी दी जाए कि उन्हें किस प्रकार की शिक्षा की जरूरत है और उन्हें किस प्रकार सहयोग करना चाहिए। ऐसे बच्चों में कोई एक विशेष कला होती है, जिसकी पहचान कर उसे आगे बढ़ाया जा सकता है। निम्नदृष्टि छात्रों के लिए सहायक सामग्री बनाते समय चित्रों के रंगों का सही चुनाव किया जाना चाहिए।
(5) अस्थि : निःशक्तता ग्रस्त बालकों के लिए विशेष शैक्षिक प्रावधान :-
अस्थि निःशक्तता ग्रस्त छात्रों को अंग संचालन में कठिनाई होती है इसका संबंध मांसपेशियों, जोड़ों से होता है इसका प्रभाव हाथ, पैरों और बाहरी अंगों पर पड़ता है। ऐसे छात्रों को वातावरण में सामंजस्य स्थापित करने में कठिनाई होती है, कुछ छात्र ठीक से उठने, बैठने या खड़े होने में परेशानी का अनुभव करते हैं और जल्दी थक जाते हैं। ऐसे बच्चों को यथासंभव कक्षा में अगली पंक्ति पर बैठाया जाना चाहिए जिससे वे सरलतापूर्वक इधर-उधर आ जा सके। शिक्षक ऐसे बालकों के प्रति सहानुभूति का भाव न रखें, उनकी क्षमताओं को समझें व उन्हें प्रोत्साहित करें।
(6) वाणी एवं भाषा बाधित बालकों के लिए विशेष शैक्षिक प्रावधान :-
वाणी एवं भाषा बाधित बालक वे बालक होते हैं, जिन्हें शुद्ध बोलने या उच्चारण करने में समस्यायें आती हैं। भाषा बाधित बालकों के लिए द्वैभाषिक अध्यापकों की आवश्यकता होती है। बालक को सर्वप्रथम उसकी अपनी मूल भाषा में संबोधन सिखाया जाता है, तत्पश्चात उस नई भाषा में पाठ पढ़ाया जाता है। शिक्षकों को सामूहिक उच्चारण प्रविधि का प्रयोग करना चाहिए। छात्र के हकलाने, तुतलाने पर मजाक नहीं करना चाहिए उसे बोलने के लिए प्रेरित व सहयोग करना चाहिए। ऐसे बालकों से सरल प्रश्न पूछे जायें। इस प्रकार के बालकों को संप्रेषण तथा बोलने के अवसर दिये जायें। यदि बच्चा हकलाता है तो अध्यापक स्वयं वाक्य पूरा न करें बल्कि अतिरिक्त समय दें। ऐसे बच्चों के साथ सामान्य व्यवहार किया जाए।

(Q)(12.) समावेशी विद्यालय क्या है? समावेशी विद्यालय के निर्माण के विभिन्न सिद्धांतों की चर्चा करें।

Ans: - समावेशी विद्यालय एक ऐसा विद्यालय होता है जिसमें सभी प्रकार के सामान्य एवं विशिष्ट छात्र अध्ययन करते हैं। विद्यालयों में सभी विद्यार्थियों के लिए व्यवस्था की जाती है। समावेशी शिक्षा के अन्तर्गत इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि कोई भी बालक शिक्षा से वंचित न रह सके, सभी को सुविधायें प्रदान की जाए।

समावेश से समुदाय के प्रति अपनत्व की भावना का विकास होता है। समावेश उन सभी व्यवहारिक बातों को अपनाता है जो अच्छे शिक्षण में सक्रिय और लाभप्रद हो। एक अच्छे शिक्षक का कार्य है कि वह बालकों के बारे में सोचे और सभी बालकों को लाभान्वित करें, समावेशी शिक्षा इस विश्वास पर आधारित है कि लोग समावेशी समुदाय में मिलकर कार्य करे और उनमें जाति, धर्म, आकाँक्षाओं और अयोग्यताओं का किसी भी प्रकार से भेदभाव न हो। समावेशी विद्यालय में निम्न सिद्धांतों को ध्यान में रखना आवश्यक है:-

(1) विद्यालय दर्शन का निर्माण :- समावेशी विद्यालय की सफलता इस बात पर निर्भर होती है कि उस विद्यालय का कोई दर्शन हो जिसमें प्रजातांत्रिक सिद्धांतों का अनुकरण किया जाए। समावेश प्रयोग नहीं है, यह एक मूल्य है जिसे अपनाया जाए और इसके प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण का विकास किया जाए। समावेशी विद्यालय केवल शैक्षिक उपलब्धि पर ही बल नहीं देता बल्कि बच्चों के विभिन्न गुणों के विकास पर बल देता है। ये गुण सामाजिक, भावनात्मक, सामूहिक उत्तरदायित्व, अच्छी नागरिकता, स्वस्थ प्रतियोगिता आदि का विकास करता है।

(2) स्वभाविक अनुपात का सिद्धांत :- स्वभाविक अनुपात से अर्थ यह है कि विद्यालय में सभी प्रकार के बच्चों को प्रवेश दिया जाए किसी भी बच्चे को उसकी असमर्थता के आधार पर शिक्षा से वंचित न रखा जाए। इसके अन्तर्गत समावेशी विद्यालय में उन सभी बच्चों को सम्मिलित किया जाये जो पड़ोस के स्कूल के भाग है। स्कूल में प्रवेश देने के लिए ऐसे बालकों को किसी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार के सिद्धान्त का अनुसरण करने से सभी प्रकार के बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं।

(3) पूर्ण एवं समस्त रूप से समर्थन - समावेशी विद्यालय तब तक सुचारु रूप से कार्य नहीं कर सकता जब तक कि उसमें विशेष आवश्यकता वाले

बच्चों की आवश्यकता का पूर्ण रूप से समर्थन न किया जाए। इस प्रकार के विद्यालयों को समस्त समर्थन सेवाओं का विकास करना चाहिए। समस्त समर्थन एक ऐसे लोगों का समूह है जिसमें जो आपस में मिल-जुलकर, समस्या समाधान, विचारों के आदान-प्रदान से शिक्षकों को भी सहायता मिलती है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे सामान्य बच्चों के साथ मिलकर अपने क्रिया कलाप व विचारों का आदान-प्रदान करते हैं जिससे वे लाभान्वित होते हैं। इस प्रकार के विद्यालयों में इस प्रकार का माहौल तैयार किया जाए जिससे कि सभी प्रकार के बच्चे शिक्षा से लाभान्वित हो सकें।

समावेशी विद्यालयों के लिए प्रस्तावित कार्यक्रम :-

समावेशी शिक्षा के अन्तर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए जिला स्तर, राज्य स्तर व केन्द्र स्तर पर कार्य करने की आवश्यकता है। इन विद्यालयों में निःशक्तता ग्रस्त बच्चों को समान रूप से शिक्षा प्रदान करने के लिए निम्न प्रस्ताव (सुझाव) दिये जा रहे हैं। सामान्य विद्यालयों में समावेशी कार्यक्रम का स्वरूप इस प्रकार है :-

(1) सामान्य विद्यालय में अतिरिक्त सुविधायें मुहैया कराना / व्यावसायिक तथा पूर्वव्यावसायिक पाठ्यक्रमों को बच्चों के अनुकूल बनाना।

(2) निःशक्तता के मूल्यांकन के लिए जिला स्तर पर मनोवैज्ञानिक सेवाओं का विकास करना।

(3) सामान्य विद्यालय पद्धति में प्रशासकों तथा शिक्षकों के लिए समर्थन कार्यक्रम आयोजित करना।

(4) इन बच्चों की देखभाल व अधिगम सामग्री की व्यवस्था करना।

(5) यदि आवश्यक हो तो स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय की सहायता लेना।

(6) विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को प्रोत्साहित करना, जिसके अन्तर्गत :-

(i) साधन तथा उपकरणों की व्यवस्था करना।

(ii) परिवहन भत्ते (50 रु० प्रतिमास) की व्यवस्था करना।

(iii) बच्चों को निःशुल्क वेश, पुस्तकें आदि की व्यवस्था करना आदि।

(7) इन बच्चों की व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था करना, +2 स्तर पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की व्यवस्था करना।

(8) मनोवैज्ञानिक - शैक्षिक मूल्यांकन तथा निदान के लिए अध्ययन और समस्याओं की पहचान के उपकरणों का स्पष्ट रूप से क्षेत्रीय भाषाओं में विकास करना।

(9) केन्द्र में इन बच्चों के विकास एवं कार्यक्रम की जाँच व परिवर्तन के लिए समिति बनाई जाय जो कि इस कार्यक्रम की देखरेख करे।

Q(13) कक्षा प्रबंधन से क्या अभिप्राय है? व्यक्तिगत आवश्यकतानुसार कक्षा प्रबंधन के सिद्धांत क्या है?

Ans:- कक्षा प्रबंधन एवं अनुदेशन एक-दूसरे पर पूर्णत: आश्रित होते है। सामान्य रूप से यह दिखता है कि विद्यालय को सुचारु रूप से चलाने के लिए प्रधानाचार्य एवं प्रबंधक कमेटी का जवाबदेही होती है लेकिन कक्षा-कक्ष केवल अध्यापक पर ही निर्भर करता है। जिस प्रकार प्रधानाचार्य पर विद्यालय की सभी गतिविधियों का उत्तरदायित्व होता है। उसी प्रकार अध्यापक का कार्य कक्षा को व्यवस्थित करना होता है। नि:संदेह आज जो विद्यार्थी कक्षा में पढ रहे है वही देश का भविष्य है। इस संबंध में कोठारी आयोग ने कहा है कि- "देश का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है।" अध्यापक की अनुपस्थिति में कक्षा-कक्ष एक उद्देश्य विहिन सभागार बन जाता है।

कक्षा प्रबंधन एक प्रकार का प्रबंधकीय कौशल है। जिसमें भौतिक एवं मानवीय संसाधनों में सामंजस्य स्थापित करना आवश्यक है। प्रत्येक अध्यापक के लिए जरूरी है कि वह बच्चों की क्रियाशीलता एवं व्यवहार को ठीक से समझे। एक अध्यापक से आशा की जाती है कि वह शिक्षण प्रक्रिया में छात्रों की सहभागिता को शामिल करें। इसके लिए अध्यापक की मनोवैज्ञानिक सोच होना आवश्यक है जिससे वह कक्षा की समस्याओं का शांतिपूर्वक समाधान निकाल सके। कक्षा-कक्ष प्रबंधन सम्पूर्ण कक्षा पर नियंत्रण है इसमें छात्र का आरंभिक व्यवहार, उसकी कुशलता उसके कक्षा कक्ष वातावरण से दिखाई देता है। कक्षा-कक्ष को विद्वानों ने इस प्रकार से कहा है -

जॉन डीवी:- "कक्षा कक्ष में कुछ ऐसी स्थितियाँ होती है, जो छात्रों की गुणोन्मुख गतिविधियों को आगे बढ़ाने में सहायक होती हैं बाधा पैदा करती है। प्रेरणा देती है या फिर रोक लगा देती है।"

कक्षा प्रबंध का क्रियात्मक कार्य - कक्षा कक्ष प्रबंध के अर्थों में अध्यापक अलग-अलग कार्य करते है। जैसे - योजना बनाना, व्यवस्था करना, समन्वित करना, निर्देशित करना, नियंत्रण करना और व्यवहार का आदान-प्रदान करना आदि।

विशिष्ट कक्षा कक्ष की समस्याओं की प्रकृति इस प्रकार है! -

(1) ये समस्यायें वातावरण से संबंधित हो सकती है।

(2) ये समस्यायें व्यक्तिगत हो सकती है।

(3) ये समस्या सामूहिक हो सकती है।
(4) कुछ समस्या स्थिर हो सकती है, जो लगातार बनी रहती है।
(5) कुछ समस्या समय व परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है।
(6) समस्यायें भौतिक संसाधन से संबंधित हो सकती है।
(7) ये समस्या अधिगम सामग्री की हो सकती है।
(8) ये समस्या विशेष बालकों की हो सकती है।
(9) ये समस्या मनोवैज्ञानिक हो सकती है।
(10) ये समस्या शैक्षिक विभिन्नता के कारण हो सकती है।

उपरोक्त समस्यायें किसी भी कक्षा-कक्ष में हो सकती है और इन समस्याओं का सामना अध्यापक को करना पड़ता है। एक कुशल अध्यापक अपनी सूझ-बूझ, समझ के आधार पर कुशलतापूर्वक इन समस्याओं का समाधान कर सकता है। कक्षा कक्ष में विशेष बालकों से संबंधित समस्यायें आती है। ऐसे बालकों की व्यवस्था करना अध्यापक का मुख्य कार्य होता है। अध्यापक को कक्षा व्यवस्था करते समय इन बालकों की समुचित व्यवस्था करनी होती है।

कक्षा प्रबंधन के सिद्धांत :- एक विशेष कक्षा को सुचारु एवं व्यवस्थित रूप में चलाने के लिए अध्यापक को निम्न बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है।
(1) वह केवल छात्रों में बाह्य नियंत्रण का ही विकास न करे, बल्कि उनमें आंतरिक नियंत्रण का भी विकास हो।
(2) छात्रों को प्रोत्साहित करे।
(3) छात्रों को पुनर्बलन दे।
(4) छात्रों के लिए आवश्यक नियम बनाये व उन्हें लागू करे।
(5) छात्र कक्षा के नियमों को स्वीकार करें व उनका अनुसरण करें।
(6) विलम्बन व अवरोध को कम करें।
(7) व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखें।
(8) प्रत्येक विशेष बालक की शिक्षा व्यक्तिगत अध्ययन के आधार पर होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में हम कहेंगे कि प्रत्येक बालक की असमर्थता को भली-भाँति समझने के पश्चात ही उसकी शिक्षा की व्यवस्था की जाए।

उपरोक्त सभी नियम प्रत्येक परिस्थिति में लागू होते है, फिर भी इस तथ्य का ध्यान रखना चाहिए कि उस समय की परिस्थिति के अनुसार कैसे अनुदेशन दिये जाए, ताकि छात्र के व्यवहार में परिवर्तन किया जा सके। छात्रों को उनके अच्छे व्यवहार के लिए पुरस्कृत किया जाय जिससे वे प्रेरित होकर और अच्छा व्यवहार करें।

Q(14.) समूह शिक्षण एवं सहयोगी शिक्षण से आप क्या समझते हैं? वर्णन करें।

Ans:- समूह शिक्षण / सहकर्मी शिक्षण (Peer Tutoring):- सहकर्मी शिक्षण में एक कक्षा के अंतर्गत उच्च बौद्धिक क्षमता एवं उपलब्धि वाला छात्र, सामान्य एवं निम्न क्षमता एवं उपलब्धि वाले छात्रों को अध्ययन में सहायता करता है अर्थात् वह एक शिक्षक के रूप में शिक्षणकार्य करता है। इसमें सहकर्मी शिक्षण हेतु अलग-अलग छात्रों को चुना जा सकता है, यह उनकी विषय-वस्तु संबंधी योग्यता पर निर्भर करता है। यह आवश्यक नहीं है कि एक ही छात्र सभी विषय अथवा सभी प्रकरण में दक्ष हो। इस प्रकार अलग-अलग समय में अलग-अलग सहकर्मी शिक्षक, विषय एवं प्रकार के अनुसार शिक्षण कार्य कर सकते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि एक कक्षा में ही उन विशिष्ट विषयों पर अपना आधिपत्य रखने वाले छात्रों को चुना जाता है जो कक्षा के अन्य छात्रों को शिक्षण करवाकर उनकी अवधारणाओं को स्पष्ट करता है।

समूह शिक्षण के लाभ :-

समूह शिक्षण से अन्य छात्रों को सीखने में आसानी होती है क्योंकि छात्र अपने सहपाठियों से अपनी समस्या को खुल कर बोल सकते हैं। एल० वैगनर ने अपनी पुस्तक "पियर टीचिंग" में इसके निम्न लाभ बताये हैं :-

(1) इसमें सहपाठी शिक्षक व विद्यार्थी में दोस्ती कायम होती है, जिससे समूह में मैटबुद्धि बच्चों का एकीकरण होता है।
(2) इससे शिक्षक का बोझ हल्का होता है।
(3) पढ़ाना सीखने से बच्चों को लाभ होता है।
(4) ये उन बच्चों को कारगर ढंग से पढ़ाते हैं जो वयस्क शिक्षकों को उचित ढंग से जवाब नहीं देते।
(5) यह सहकार्य की दशाओं में साथ-साथ चलती है जिससे शिक्षक के सामने एक औपचारिक ढंग से उसके आयोजन तथा प्रबंध की मजबूरी नहीं रहती।

सहयोगी शिक्षण (Collaborative Teaching):-

सहयोगी शिक्षण शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह केवल सकारात्मक वार्तालाप, सलाह, संचार के द्वारा हासिल किया जा सकता है। सहयोग परस्पर समझ का परिणाम होता है। सहयोगी शिक्षण

द्वारा विषयवस्तु को आदान बनाया जा सकता है। यह प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार का हो सकता है। अप्रत्यक्ष सहयोग कक्षा से बाहर अध्यापक द्वारा बच्चों की आवश्यकता पूर्ति के लिए योजना बनाने से संबंधित होता है। सहयोगी सलाह, समकक्ष सहयोग द्वारा अध्यापक सहयोग की टीम अप्रत्यक्ष सहयोग के रूप में है। सहकारी शिक्षण और सह शिक्षण या समूह शिक्षण प्रत्यक्ष सहयोग से संबंधित होते है इसके विभिन्न प्रकार इस प्रकार है:-

(1) सहयोगात्मक सलाह - यह बच्चे से अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित है इसमें अध्यापक विशेष शिक्षा अध्यापक से सेवाओं के लिए अनुरोध करता है।

(2) समकक्ष सहयोग - यह भी अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित है यह नियमित शिक्षा में अध्यापक कक्षा की समस्याओं के निदान हेतु सामूहिक रूप से कार्य करते है।

(3) अध्यापक सहयोगी टीम - इसमें अध्यापकों की एक टीम नियमित शिक्षा में अध्यापकों की मदद करती है।

(4) सहकारी शिक्षण :- यह अध्यापक व बच्चों के प्रत्यक्ष संबंध से संबंधित है इसमें सामान्य एवं विशेष शिक्षा अध्यापक विद्यार्थियों को सीधे शिक्षा देने के लिए एकत्रित होकर कार्य करते है।

सहयोगी शिक्षण के लाभ

शिक्षण में अन्य साथी अध्यापकों के सहयोग से निम्न लाभ होते है:-

(1) योजना को सुचारु रूप से क्रियान्वित किया जा सकता है।
(2) समस्या के निदान में सहायक।
(3) विशिष्ट बालकों की समस्याओं का समाधान।
(4) उन विचारों का विकास जिनके विषय में अध्यापक ने कभी नहीं सोचा।
(5) सहयोगी अध्यापकों में विचारों का आदान प्रदान।
(6) संसाधनों का कुशलतम उपयोग।

Q (15) सहकारी अधिगम की चर्चा करें।

Ans - सहकारी अधिगम (Co-operative Learning) - सहकारी अधिगम यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें छात्र स्वयं परिश्रम करके अध्ययन करते हैं इसमें अध्यापक द्वारा पाठ के उद्देश्यों को स्पष्ट कर दिया जाता है तथा समूह में विद्यार्थियों को बाँट दिया जाता है ये समूह छोटे होते हैं। इसमें एक समान बच्चों को एक ग्राह्य स्तर दिया जाता है। ये छात्र एक दूसरे का सहयोग कर अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं। इस प्रकार बच्चे सीखने में एक दूसरे की मदद करते हैं। वे समस्याओं के समाधान एवं कार्य पूरा करने के लिए एक दूसरे का सहयोग करते हैं। यह एक ऐसी अधिगम प्रक्रिया है जिसमें एक समान योग्यता के बालक समूह बनाकर एक ही उद्देश्य को पाने का प्रयास करते हैं, ऐसे में वे एक दूसरे का सहयोग करते हैं। सहकारी शिक्षा बालकों को शैक्षिक निपुणता एवं योग्यता हासिल करने में सहायक होती है जैसे - सुनना, प्रश्न पूछना, उत्तर देना, सुझाव देना आदि।

सहकारी अधिगम के उद्देश्य :-

(1) समूह के मध्य सामाजिक व शैक्षिक वातावरण तैयार करना।
(2) विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सीखने का वातावरण तैयार करना।
(3) विशिष्ट बालकों को अवसर प्रदान करना।
(4) सक्षम व अक्षम बालकों के मध्य मधुर संबंध बनाना।
(5) सभी बच्चों में सहयोग की भावना पैदा करना।
(6) विशिष्ट बालकों की विशेष आवश्यकता पूर्ति करना।

सहकारी अधिगम का मूल्यांकन (लाभ-हानि) :- सहकारी अधिगम से न केवल सामान्य बालकों को बल्कि विशिष्ट एवं अक्षम बालकों को भी लाभ पहुँचता है। इस प्रकार के शिक्षण में कुछ दोष भी दिखाई देते हैं कि इस प्रकार की व्यवस्था बनाने में समय अधिक लगता है और कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है यदि अध्यापक में कुशलता नहीं होगी तो इस प्रकार की योजना लाभदायक नहीं होगी। भारतीय विद्यालयों में पाठ्यक्रम समाप्त करने की समस्या व अध्यापकों में कर्तव्यनिष्ठता की कमी के कारण इस प्रकार की योजनाओं को क्रियान्वित नहीं किया जाता है। किसी विशिष्ट कक्षाओं में यदि इस प्रकार का शिक्षण किया जाय तो निःसंदेह सफलता मिलेगी।

Q (16.) विद्यालय, परिवार एवं समुदाय का समावेशी शिक्षा में क्या योगदान है?

Ans:- घर अथवा परिवार शिक्षा प्रदान करने का महत्वपूर्ण एवं अत्यंत प्राचीन सक्रिय साधन है। बच्चे की शिक्षा में परिवार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बच्चों के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक विकास में परिवार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। बच्चा परिवार से ही समाजीकरण सीखता है। क्लेयर के अनुसार - "परिवार से हमारा तात्पर्य उस संबंध से है जो माता-पिता और बच्चों में विद्यमान रहता है।"
समुदाय - शिक्षा के साधन के रूप में समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है। बालक को समुदाय में बढ़ना, विकसित होना और रहना होता है। प्रत्येक समुदाय अपने सदस्यों, विशेष रूप से बच्चों, किशोरों और वयस्कों को उद्देश्यपूर्ण और प्रभावपूर्ण शिक्षा प्रदान करके अपनी प्रगति व विकास नियोजित करने का प्रयास करता है। समुदाय अपनी सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं के अनुसार शिक्षा को ढालने का प्रयास करता है। डेविस के अनुसार-" समुदाय सबसे छोटा ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसके अन्तर्गत सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ सकते हैं।"

समावेशी शिक्षा एवं परिवार

समावेशी शिक्षा प्रदान करने में परिवार की भूमिका व उत्तरदायित्व महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ा सत्य है कि बालक की प्रारंभ की शिक्षा का उत्तरदायित्व पहले परिवार को ही निभाना होता है। ज्ञान के संचित कोष में वृद्धि होने से और पारिवारिक परिस्थितियों के बदलने से विद्यालयों की आवश्यकता पड़ी और परिवार ने बालकों की शिक्षा का कार्य स्कूलों को सौंप दिया। परन्तु विकलांग बालकों की शिक्षा की जिम्मेदारी परिवार की ही थी। परन्तु आज भी प्रारंभिक शिक्षा के लिए सामान्य बालकों और विकलांग बालकों की देखभाल, भोजन, वस्त्र पहनना, व्यवहार का अनुकरण आदि परिवार पर ही निर्भर करता है। बालक के सामाजिक गुणों के विकास के लिए परिवार अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसी आधार पर "परिवार को सामाजिक गुणों का पालना कहा जाता है।"

यदि परिवार असमर्थी बालकों को ठीक से प्रोत्साहित करें व उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करें तथा उनका सहयोग करें तो ऐसे बच्चे अपने जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखेंगे। आधुनिक समावेशी शिक्षा की सफलता एवं उन्नति के लिए नई नीतियों को अपनाने एवं वर्तमान कानून में संशोधन के लिए माता, पिता, अभिभावक के सहयोग की विशेष आवश्यकता होती है।

समावेशी शिक्षा तथा समुदाय

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज के बिना मनुष्य के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती है। विद्यालय की भाँति बालक की दिनचर्या में परिवार एवं

समाज में अपना समय व्यतीत करता है। बालक अपनी संस्कृति-सभ्यता, बड़ों का सम्मान, अनुकरण आदि समाज से ही सीखता है। समाज से ही बालकों में सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, आध्यात्मिक मूल्यों का विकास होता है। शिक्षा के वास्तविक उद्देश्यों को पूरा करने में समाज की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। समुदाय अपने विभिन्न संसाधनों द्वारा विद्यालयों में समावेशी शिक्षा प्रदान करने हेतु स्वस्थ वातावरण का निर्माण करता है। समावेशी शिक्षा के कार्यक्रम को सफल बनाने के विद्यालय को समाज के द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है। तथा समाज के द्वारा विद्यालय के कार्यक्रमों की प्रतिपुष्टि दी जाती है।

समुदाय की विद्यालय पर निर्भरता

समुदाय एवं विद्यालय दोनों एक-दूसरे पर निर्भर रहते हैं। यदि समुदाय ने विद्यालय का निर्माण किया है तो विद्यालय ने भी समुदाय के लिए कार्य किया है। दोनों में द्विपक्षीय संबंध है, ये दोनों एक दूसरे के निर्माण में सहायता देते हैं। विद्यालय में समुदाय का आदर्श जीवन प्रतिबिम्बित होता है और समुदाय विद्यार्थियों के लिए एक ऐसी प्रयोगशाला है, जहाँ वह विद्यालय में सीखे हुए ज्ञान एवं कौशलों का प्रयोग करता है।

स्पष्ट है कि समुदाय भी विद्यालय पर निर्भर रहता है। समुदाय को विद्यालयों से निम्न अपेक्षा रहती है :-

(1) बालक की शिक्षा तथा विभिन्न शैक्षिक योजनायें।
(2) समुदाय की सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण।
(3) समुदाय की आवश्यकताओं एवं मांग की पूर्ति।
(4) समुदाय के भावी स्वरूप का निर्माण।
(5) समुदाय की व्यवसायिक व औद्योगिक प्रगति।

इस प्रकार विद्यालय एवं समुदाय के मध्य घनिष्ठ संबंध है। ये दोनों अपनी-अपनी उन्नति एवं स्थायित्व के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। विद्यालय एक सामाजिक संस्था है। समाज स्वयं को जीवित रखने के लिए विभिन्न प्रकार की शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना करता है, जिसके द्वारा समाज के विचारों, मान्यताओं, आदर्शों, क्रिया-कलापों और परम्पराओं को आने वाली पीढ़ी तक ले जाता है।

इस प्रकार समावेशी शिक्षा हो या सामान्य शिक्षा। शिक्षा प्रदान करने में समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है ये दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं तथा शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होते हैं।

=

Q(17.) सूचना सम्प्रेषण तकनीकी से आप क्या समझते हैं? इसका समावेशी शिक्षा में क्या योगदान है? विकलांग विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए विभिन्न उपकरणों का वर्णन करें।

Ans:- सूचना प्रौद्योगिकी- आँकड़ों की प्राप्ति, सूचना संग्रह, सुरक्षा, परिवर्तन, आदान-प्रदान, अध्ययन, डिजाइन आदि कार्यों तथा इन कार्यों के निष्पादन के लिए कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों से संबंधित है। सूचना प्रौद्योगिकी कम्प्यूटर पर आधारित सूचना-प्रणाली का आधार है। सूचना प्रौद्योगिकी वर्तमान समय में वाणिज्य, व्यापार एवं शिक्षा का अभिन्न अंग बन गई है। संचार क्रांति के फलस्वरूप अब इलेक्ट्रॉनिक संचार को भी सूचना प्रौद्योगिकी का एक प्रमुख घटक माने जाने लगा है और इसे अब सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (Information & Communication Technology, ICT) भी कहा जाता है। एक उद्योग के तौर पर यह एक उभरता हुआ क्षेत्र है। यूनेस्को (UNESCO) ने सूचना तकनीकी की परिभाषा इस प्रकार दी है -

"सूचना के प्रयोग और प्रोसेसिंग में प्रयुक्त वैज्ञानिक तकनीक और इंजीनियरिंग अनुशासन तथा प्रबंधन तकनीक. उनका उपयोग, कम्प्यूटर तथा उनका मानव और मशीनों के साथ अंतक्रिया और संबंध सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक समस्याएँ।"

सूचना सम्प्रेषण तकनीकी का समावेशी शिक्षा में योगदान
(Role of ICT in Inclusive Education)

जो छात्र / छात्राएं शारीरिक अपंगता से ग्रस्त होते हैं उन्हें शिक्षण अधिगम में बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आज आधुनिक युग में इन समस्याओं को सूचना तकनीकी के माध्यम से कुछ हद तक दूर करना संभव हो पाया है। आज कम्प्यूटर के माध्यम से बाधित छात्रों को पढ़ने और लिखने की समस्या को दूर किया जा सकता है। ये छात्र-छात्राएँ बहुत सी सूचनायें स्वतंत्र रूप से कम्प्यूटर के माध्यम से एकत्रित कर अपने शिक्षण अधिगम को और अधिक सरल एवं सुगम बना पाते हैं।

सूचना सम्प्रेषण तकनीकी का महत्व :-

(1) सूचना तकनीकी से अधिगम बाधित छात्रों को अपने शिक्षण अधिगम के लिए सूचना प्राप्त करने और उसका उपयोग करने में सहायता मिलती है।
(2) इसके माध्यम से छात्रों में आत्मविश्वास की वृद्धि होती है।
(3) इसके माध्यम से उनकी जिज्ञासा और निर्माण की स्वभाविक प्रकृति परिष्कृत होती है।
(4) सूचना प्राप्त करने, परिवर्तित करने और उसका उपयोग करने में सुक्ष्मता, गति, शुद्धता प्राप्त होती है।

विकलांग छात्रों की शिक्षा के लिए विभिन्न उपकरण :-

एक विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा के लिए एक विद्यालय में विभिन्न प्रकार के उपकरणों का होना अति आवश्यक है। जो इन विकलांग विद्यार्थियों की शिक्षण-अधिगम प्रक्रियाओं को सरल एवं सुचारू रूप से चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये उपकरण निम्न हैं -

(1) व्हील चेयर - एक ऐसा सहायक उपकरण है जो स्वचालित होता है, जिसके माध्यम से एक छात्र एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से आ-जा सकता है। इसलिए शारीरिक बाधित विद्यार्थियों के लिए यह उपकरण बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ वह प्रतिदिन होने वाले कार्यों को भी आसानी से कर सकते हैं। ये उपकरण अलग-अलग किस्म के होते हैं, जिनमें से कुछ हस्तचालित और कुछ स्वः चालित भी हो सकते हैं। सामान्य वे विद्यार्थी इनका उपयोग करते हैं जो चलने और उठने-बैठने में असमर्थ होते हैं।

(2) रिकग्निशन (चेहरा पहचानने वाला) - चश्मे में फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर सामने खड़े आदमी की भावनाओं को पढ़कर, खुश या नाराज जैसे बातें बता सकता है। यह अलोगों के लिए लाभप्रद हो सकता है जो दूसरों के चेहरों के भाव नहीं समझ पाते हैं। जैसा कि एस्परगेर्स सिंड्रोम में होता है। इसकी सहायता से छात्र कक्षा में अपने सहपाठियों एवं शिक्षक के भावों को समझ सकता है, जिससे उसके साथ समन्वय स्थापित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

(3) दृष्टि बाधित बच्चों के उपकरण :- बड़ी स्क्रीन वाले कम्प्यूटर, ध्वनि सक्रिय कम्प्यूटर, ब्रेल प्रिन्टर, ब्रेल लीपि, की बोर्ड स्टीकर, टेप-रिकार्डर, टॉकिंग केलकुलेटर आदि उपकरण एक दृष्टि बाधित बच्चों की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल एवं प्रभावपूर्ण बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं।

(4) श्रवण बाधित बच्चों के लिए उपकरण :- एम्पलीफायर, कम्यूनिकेशन कम्प्यूटर, अलार्म प्रणाली एक श्रवण बाधित बच्चों के अधिगम प्रक्रिया को सरल एवं प्रभावपूर्ण बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं।

(5) टेक्स्ट टेलीफोन - यह उपकरण एक श्रवण बाधित व्यक्ति के उपयोग के लिए होता है जिसमें टेलीफोन के साथ एक उपकरण इसमें एक की बोर्ड एवं डीस्प्ले होती है जोकि श्रवण बाधित को सम्प्रेषण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

Q(18) बहु - संवेदी शिक्षण क्या होता है? इसकी व्याख्या करें।

Ans:- बहु - संवेदी शिक्षण (Multisensory Teaching) - बहु - संवेदी शिक्षण तकनीकी अधिकतर विभिन्न रूप से अधिगम बाधित विद्यार्थियों के शिक्षण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के National Institute of Child Health and Human Development के एक शोध अध्ययन से ज्ञात हुआ कि अधिगम बाधित विद्यार्थियों के लिए यह संवेदन शिक्षण तकनीक बहुत उपयोगी है।

बहुसंवेदी शिक्षण तकनीक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में लगे सभी विद्यार्थियों को विभिन्न स्तरों पर अभिप्रेरित करती है।-

बहु - संवेदन शिक्षण तकनीक से सामान्य लाभ -

(1) सूचनायें एकत्रित करना
(2) सूचनायें एवं विचारों का आपसी तालमेल बैठाना।
(3) समस्या समाधान में तर्क बुद्धि की सहायता लेना।
(4) अगाड़िक तर्कशीलता को बाहर निकालना।

बहु संवेदन शिक्षण तकनीक का अर्थ है कि छात्रों को अधिक से अधिक संवेदकों की सहायता से शिक्षा दी जाये। प्राय अधिकतर शिक्षण तकनीक बोलकर या दिखाकर पूरी की जाती है। बच्चे अपनी दृष्टि के माध्यम से तस्वीर एवं श्यामपट्ट पर लिखित सूचनाओं को एकत्रित करते है। और सुनने की संवेदन क्षमता से यह ज्ञात होता है कि अध्यापक ने कक्षा - कक्ष में क्या कहा है? छात्र - अध्यापक द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में छात्रों की अधिगम बाधिता प्रभावित करती है। इन सभी अधिगम बाधित समस्याओं का समाधान के लिए अध्यापकों को अधिक से अधिक संवेदन शिक्षण तकनीक का प्रयोग करना चाहिए। जैसे - छूकर, स्पर्श से, चुम्बक, देखकर इत्यादि।

यह तकनीक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ - साथ बच्चों के बौद्धिक विकास में भी सहायक है।

अधिगम शैलियों के प्रकार (Tyles of Learning Styles) → कुछ शोधकर्ताओं ने बताया कि बहुत से छात्रों के पास अपना संवेदी क्षेत्र होता है जिसके माध्यम से वह अधिगम प्रक्रिया को सरल, तेज एवं प्रभावशाली बनाता है। कई बार इसी को छात्र की अधिगम शैली कहते है। सामान्यत: अधिगम शैलियाँ चार प्रकार की होती है:- (1) दृश्यात्मक अधिगम शैली (Visual Learning Style)
(2) श्रवणात्मक अधिगम शैली (Auditory Learning Style)
(3) पठन एवं लेखन अधिगम शैली (Read and Write Learning Style)
(4) स्पर्शात्मक अधिगम शैली (Kinesthetic Learning Style)

① दृश्यात्मक अधिगम शैली (Visual Learning Style) – दृश्यात्मक अधिगम शैली से अभिप्राय उस शैली से है जिसमें बालक सूचनाओं को देखकर, उसे अपने मस्तिष्क में संग्रहीत करता है। ऐसे बालक प्राय: पढ़ना पसंद करता है, उनकी लेखनी अच्छी होती है तथा वे रंगों व आकृति के प्रति जागरूक होते हैं। ऐसे बालक प्राय: व्यक्तियों को उनके नाम के स्थान पर उनके चेहरे से याद रखते हैं तथा व्यक्तियों से वार्तालाप करते समय प्रत्यक्ष संबंध (Eye Contact) रखते हैं ताकि ध्यान केन्द्रित कर सकें।

② श्रवणात्मक अधिगम शैली (Auditory Learning Style) श्रवणात्मक अधिगम शैली में सूचनाओं का आदान-प्रदान करने का मुख्य तरीका शाब्दिक भाषा है। इसमें छात्र प्राय: सुनकर तथा बोलकर सीखता है। इस प्रकार के छात्र वाचाल, सामाजिक तथा मनोरंजन सुनना (कहानी, चुटकले आदि) पसंद करते हैं। इस प्रकार के छात्र संगीत एवं कला में अच्छा प्रदर्शन करते हैं।

कुछ श्रवणात्मक अधिगमकर्ता (छात्र) धीरे-धीरे पढ़ते हैं तथा उन्हें लिखने में प्राय: कठिनाई का अनुभव होता है। ऐसे छात्र अधिक समय तक शांत नहीं बैठते तथा ये व्यक्तियों को उनके नाम एवं आवाज के माध्यम से याद रखते हैं।

③ पठन एवं लेखन अधिगम शैली (Red & Write Learning Style) इस शैली के छात्र प्राय: लिखे हुए शब्दों के माध्यम से अच्छा सीखते हैं। ऐसे छात्र पुस्तकों को पढ़कर जानकारी एकत्रित करते हैं। इस शैली में छात्र व्याख्यान द्वारा, चित्रों द्वारा, चार्ट तथा ग्राफ के द्वारा सीखते हैं तथा लिखित भाषा द्वारा वैज्ञानिक सिद्धान्तों की व्याख्या करते हैं। ऐसे छात्र प्राय: तीव्र पठन एवं निपुण लेखक होते हैं।

दृश्यात्मक अधिगमकर्ता की तरह पठन एवं लेखन छात्र भी मौखिक निर्देशों में असुविधा का अनुभव करता है।

④ स्पर्शात्मक अधिगम शैली (Kinesthetic Learning Style)→ स्पर्शात्मक अधिगम शैली वाले छात्र प्राय: कार्य करके सीखते हैं। ऐसे छात्र अपनी प्रतिक्रियाओं को बाह्य गतिविधियों से निखारते हैं। ऐसे छात्र खेल-कूद तथा कलात्मक क्रियाओं में प्राय: सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं और ऐसे छात्र अपने भावों को शारीरिक रूप से अभिव्यक्त करते हैं। ऐसे छात्र नवीन कुशलताओं को स्वयं करके सीखते हैं ना कि किसी के द्वारा दिये गये निर्देश द्वारा। ऐसे छात्र पढ़ने में तथा वर्तनी में कठिनाई का अनुभव करते हैं। ऐसे छात्र एक स्थान पर अधिक समय तक नहीं बैठते।